संख्या- 145/2018/1247/22-4-18-119(ब)/2000टीसी-8(ए)

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 08 अक्टूबर, 2018

विषय- जिला कारागार, सोनभद्र में स्थापित वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाई को क्रियाशील करने तथा पीसीओ के संचालन के लिए कनेक्टिविटी की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-26443/आधु-01/वीका/2014, दिनांक-24.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, सोनभद्र में स्थापित वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाई को क्रियाशील करने तथा पीसीओ के संचालन के लिए कनेक्टिविटी की व्यवस्था कराये जाने हेतु रू0 26.15 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या-976(1)/22-4-2018-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक-19 सितम्बर, 2018 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से की गयी व्यवस्थित धनराशि रू0 26,15,000/-(रूपया छब्बिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सुसंगत नियमों तथा संगत शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा। इसका दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(2) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है उसी मद में आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(3) सम्बन्धित संस्था द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्थापित करने एवं उसके रख-रखाव का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता का प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की गयी है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16-प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-145/2018/1247(1)/22-4-2018-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) मुख्य महाप्रबन्धक, बीएसएनएल, दूरसंचार, उ0प्र0 पूर्वी परिमण्डल (इन्टर प्राइजेज बिजनेस इकाई) भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in